कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक 285/दो–12–17/2013 बलौदाबाजार, दिनांक 10/10/2024

इस स्थापना हेतु गठित चयन समिति के प्रतिवेदन क्रमांक क्यू. 49/24 बलौदाबाजार दिनांक 07.10.2024 के आधार पर इस स्थापना में स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के रिक्त 02 पदों पर चयनित निम्नानुसार अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स लेवल–7 (रूपये 28700–91300) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नांकित शर्तों के अधीन से नियुक्त किया जाता है:–

क्र.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग
1	DCS483	श्री उपेन्द्र कुमार जायसवाल	श्री कुंजबिहारी	वर्तमान एवं स्थायी पता– ग्राम+पोस्ट– भैंसा, थाना खरोरा, तह. आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन– 493225	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)
2	DCS445	श्री प्रशांत कुमार	स्व. श्री प्रहलाद	वर्तमान एवं स्थायी पता– जयस्तंभ संतोषी चौक, ग्राम बोरसी वार्ड नं. 52, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	अनुसूचित जाति (मुक्त)

नियुक्ति की शर्तें:–

1. चयनित उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित प्रति तथा मूल प्रति कार्य ग्रहण के समय साथ लेकर आना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के समय चयनित उम्मीदवारों के शैक्षणिक दस्तावेज अथवा अन्य प्रमाण पत्र असत्य, अपूर्ण अथवा गलत पाये जाने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करते समय मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा हेतु योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अयोग्य पाये जाने की दशा में उन्हें चयनित पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जावेगी।
3. चरित्र सत्यापन में यदि सेवा के लिये अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
4. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते का भुगतान/जमा कर सेवा समाप्त की जा सकती है।
5. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्य पद हेतु आवेदन करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी।

P.T.O.

6. नवनियुक्त उम्मीदवार को अन्यत्र सेवारत है वे उक्त विभाग/संस्था/कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने अन्य प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करेंगे।
7. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 दिनांक 11.09.2023 के अनुसार कोई भी उम्मीदवार, जिसे महिलाओं के विरूद्ध अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, तत्संबंध में नियुक्त कर्मचारीगण को उपरोक्त वर्णित अपराध में संलिप्त न होने व सिद्धदोष ठहराये नहीं जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. नियुक्त कर्मचारियों को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इस न्यायिक जिले के बाहय न्यायालयों में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
9. नियुक्त कर्मचारियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार गहण करना होगा।
10. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्र. 571/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 12.09.2023 (वित्त निर्देश 33/2023) के आलोक में, नवनियुक्त कर्मचारियों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जा रहा है, उक्त अवधि में उन्हें उनके पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जावेगा।

सही/–
(राकेश बिहारी घोरे)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1486 /दो–12–17/2013 बलौदाबाजार, दिनांक 10/10/2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार।
2. श्री उपेन्द्र कुमार जायसवाल, पिता श्री कुंजबिहारी, वर्तमान एवं स्थायी पता ग्राम व पोस्ट– भैंसा, थाना खरोरा, तहसील– आरंग, जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन– 493225 की ओर सूचनार्थ।
3. श्री प्रशांत कुमार, पिता स्व. श्री प्रहलाद, वर्तमान एवं स्थायी पता– जयस्तंभ संतोषी चौक, ग्राम बोरसी वार्ड नं. 52, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. लेखापाल कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार की ओर जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

10/10/2024

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ.ग.)